**संख्या-853/2017/1954/22-2-2017-17(60)/2017**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगतपाल सिंह पुत्र श्री उदित नरायन निवासी जनपद-बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28873/प्रोबे0-5-दया0/1037, दिनांक 10.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगतपाल सिंह पुत्र श्री उदित नरायन जो ग्राम-अतरसुईया, थाना-टिकैत नगर, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा हल के फाल से घायल होने की रंजिश को लेकर दिनांक 23-06-93 को 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-254/1993 में भा0द0वि0 की धारा-304 के अन्तर्गत मा0 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बाराबंकी के आदेश दिनांक 11.01.1995 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18-04-2015 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये 10 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड को 05 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड में परिवर्तितकर दिया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 02 वर्ष 07 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 11 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 अन्य सहअभियुक्त् सजा भुगत रहा है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जगतपाल सिंह (बन्दी संख्या-180/2015) पुत्र श्री उदित नरायन निवासी जनपद-बाराबंकी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-853/2017/1954/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in